



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



File no- CHG/BLD/Fe-1/NGP

MINE CODE 30MPR13005

दिनांक -23.12.2022

प्रेषित,

श्री अनिर्बन दासगुप्ता, निदेशक प्रभारी
सर्वश्री भिलाई स्टील प्लांट, द्वितीय तल,
इस्पात भवन, सेक्टर-1, भिलाई
छत्तीसगढ़

श्री चिंताला श्रीकांत, एजेन्ट (माइन्स)
सर्वश्री भिलाई स्टील प्लांट, द्वितीय तल,
इस्पात भवन, सेक्टर-1, भिलाई
छत्तीसगढ़

विषय, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम - पंद्रिदलि, तहसील - डोंदि, और जिला - बलोद, में स्थित आपकी राज़ारा लौह खान (RAJHARA MECHANISED MINE) (क्षेत्रफल 220.42 ha) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 11.11.2022 को श्री देबदुर्लभ दाश, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा श्री राकेश सिंह, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	<p>The mining operations are required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by Indian Bureau of Mines. However, the mining operations have not been observed carried out in accordance with Review & updation of Mining Plan approved vide letter No. Balod/Iron/Mining/1146/2018 on Dated 25/05/18 for the period from 2018-19 to 2022-23 to the extent indicated below:</p> <p>(i) Exploration by drilling of 10 boreholes were approved during the period from 2019-20 to 2020-21. However, against which no exploration has been reported carried out. Violation in this respect was pointed out vide this office letter dated 06.04.2022. Yet, the same has not been complied with so far.</p> <p>(ii) 7.5 m area within & along the lease boundary (safety zone) was found to be encroached by carrying out excavation at number of places that is between boundary pillar 49D to E, 36A to 49A, 37 to 38, 38 to 51 and 51 to 52 without such approval.</p> <p>(iii) A new waste dump has been developed on north western side of the lease without such approval.</p> <p>(iv) No plantation has been carried out on backfilled area against approval of 50 saplings during the year 2021-22. Further, against approval of plantation of 6500 saplings in 2.5 ha area on waste land during the year 2021-22, no plantation has been done.</p>

(2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(3) नियम 11(2) के नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत :-

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **11(1)** का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 –
Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर